

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-२ ) विधेयक, २०१६

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-२ ) अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रु. एक लाख सत्तर हजार सात सौ तिरेपन करोड़ निन्यानवे लाख तिरेपन हजार मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १७,०७,५३,९९,५३,००० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१,०२,३३,३८,०३,०००	१,०२,३३,३८,०३,०००
०१.	भारित विनियोग-लोक ऋण सामान्य प्रशासन	पूंजी	०	९१,०५,६३,१६,०००	९१,०५,६३,१६,०००
		राजस्व	३,७५,९५,९०,०००	४४,३०,६४,०००	४,२०,२६,५४,०००
		पूंजी	२९,५१,५१,०००	०	२९,५१,५१,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	५४,३०,१६,०००	०	५४,३०,१६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३.	पुलिस	राजस्व ५१,३६,६२,८७,००० पूंजी १,९७,०३,३५,०००	१,५४,००,००० ०	५१,३६,१६,८७,००० १,९७,०३,३५,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ४१,३५,८७,००० पूंजी २०,०१,०००	२,००,००० ०	४१,३७,८७,००० २०,०१,०००
०५.	जेल	राजस्व ३,४२,३५,८२,०००	०	३,४२,३५,८२,०००
०६.	वित्त	राजस्व १,१३,०४,४३,२१,००० पूंजी १,७९,८१,०१,०००	१७,२८,४०,००० ०	१,१३,२१,७१,६१,००० १,७९,८१,०१,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व २६,०७,१९,६५,००० पूंजी १,०००	१०,६०,००० ०	२६,०७,३०,२५,००० १,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १२,५५,७४,५३,००० पूंजी ८९,५५,००,०००	६,५५,११,००० ०	१२,६२,२९,६४,००० ८९,५५,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ५७,६४,९४,००० पूंजी १७,२२,००,०००	५०,००० ०	५७,६५,४४,००० १७,२२,००,०००
१०.	वन	राजस्व १७,२४,७२,०९,००० पूंजी ४,४५,७३,००,०००	८०,००,००० ०	१७,२५,५२,०९,००० ४,४५,७३,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व १३,५७,२६,०५,००० पूंजी १२,२४,३६,०७,०००	७,०१,००० ०	१३,५७,३३,०६,००० १२,२४,३६,०७,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ६५,५१,०४,६०,००० पूंजी ९६,४०,४३,०५,०००	२,५०,००,००,००० ०	६८,०१,०४,६०,००० ९६,४०,४३,०५,०००

